

LR-829  
24/5/24

**“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”**  
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सेवा में,  
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
हमीरगढ़

**विशय:-** राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम अरुणोद की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 40, 100, 163 में मेरा नाम शालू लाल पुत्र शंकरलाल मधवल दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम शालू शंकरलाल पुत्र शंकरलाल है। सलंगन दस्तावेज अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदे 1 फरमाने की कृपा करें।

दिनांक 20/02/2024

*(Signature)*  
प्रार्थी

(.....)

**रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक**

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम अरुणोद के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 40, 100, 163 में प्रार्थी का नाम शालू लाल पुत्र शंकरलाल दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंगन दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम शालू लाल पुत्र शंकरलाल है जो सं गोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पे 1 है।

भू.अ.नि. *(Signature)* क्रमांक 12/136/2024/926 दिनांक 24/02/2024 पटवारी *(Signature)* 20/02/2024  
श्री अरुणोद

**रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार**

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी अरुणोद व भू.अ.नि. अरुणोद एवं प्रार्थी द्वारा सलंगन दस्तावेज के आधार पर ग्राम अरुणोद की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 40, 100, 163 में प्रार्थी का नाम शालू लाल पुत्र शंकरलाल मधवल के बजाय शालू लाल पुत्र शंकरलाल किये जाने हेतु अभिंशा की जाती है।

5-5-24/2024

*(Signature)*  
तहसीलदार / नायब तहसीलदार  
हमीरगढ़

**आदे**

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम अरुणोद जमाबन्दी संवत् 2076-2079 खाता संख्या 40, 100, 163 में दर्ज प्रार्थी का नाम शालू लाल पुत्र शंकरलाल मधवल के स्थान पर शालू लाल पुत्र शंकरलाल सं गोधन के आदे 1 दिये जाते हैं।

*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़